अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 111/2011

श्री राम पाण्डेय

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, सोनपुर,सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.05.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, सारण के आदेश ज्ञापांक 1047, दिनांक 22.11.2011 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 25.10.2011 को 1.45 बजे अपराहन् में श्री राम पाण्डेय, ज0दि0प्र0दि, अनु सं0–172/2007, पंचायत–अकबरपुर, प्रखंड– दरियापुर, जिला–सारण की दूकान की जांच जिला स्तरीय जांच दल (श्री सतीश कुमार शर्मा अचंल अधिकारी लहलादपुर) के द्वारा की गई। जांच के कम में विक्रेता के द्वारा वितरण कार्य में घोर अनियमितता पाई गयी। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, सोनपुर, सारण के ज्ञापांक 938 ,दिनांक 11.11.2011 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के विरूद्ध लगाया गया आरोप बिल्कुल गलत है। विक्रेता के द्वारा अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण निगरानी समिति के समक्ष किया जाता है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के कारण पृच्छा में कही भी अंकित नही किया गया है कि किन उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के विरूद्ध शिकायत की गई। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का उठाव कर प्राप्त कूपज के आधार पर वितरण किया जाता है। कुछ ग्रामीणों के द्वारा विक्रेता को परेशान करने की नीयत से झूठा आरोप लगाया गया है। अपीलार्थी	

के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रञ्जगत आदेश (ज्ञापांक 1047, दिनांक 22.11.2011) एक मुखर आदेश नहीं है। अभिलेख में विक्रेता के विरूद्ध दिए गए कुल 2 उपभोक्ताओं का बयान रक्षित है, लेकिन न तो उसकी प्रति विक्रेता को उपलब्ध कराते हुए उनसे कारण पृच्छा किया गया, या न ही उनका नाम एवं उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख ही कारण पृच्छा में किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक कहकर अस्वीकृत कर देना उचित नही है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रञ्जगत आदेश को Set aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विक्रेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध कराते हुए पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओ पर कारण पृच्छा किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

08/05/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

08/05/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 308 /न्या0, दिनांक 08/05/15 /

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

08/5/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

08/5/15